

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 4656  
जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2021 को दिया जाना है

**परमाणु ऊर्जा स्टेशन**

4656. श्री गोपाल शेटी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में आज की तिथि के अनुसार ऐसे परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की संख्या कितनी है जिनकी समयावधि निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है;
- (ख) इन ऊर्जा केंद्रों से उत्पन्न रेडियो-गतिविधि के खतरे को टालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति में रेडियोधर्मी गतिविधि से रिसाव की घटना वाले परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इन ऊर्जा स्टेशनों के समीप रहने वाले परिवारों पर इसके प्रभावों के आकलन के लिए कोई अध्ययन किया गया है/किया जाना प्रस्तावित है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) वर्तमान में, भारत में कोई नाभिकीय विद्युत रिएक्टर नहीं है जिसकी जीवन-आयु समाप्त होने वाली है। क्रमबद्ध जीवन मूल्यांकन अध्ययनों और जीवन विस्तार उपायों के आधार पर, रिएक्टरों की जीवन-आयु बढ़ाई जाती है। जिन रिएक्टरों की जीवन-आयु बढ़ाई जाती है उन्हें संरक्षा की दृष्टि से अपग्रेड भी किया जाता है और आधुनिकतम स्तर पर लाया जाता है। सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का प्रचालन परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा लाइसेंस दिए जाने और समय-समय पर समीक्षा के अधीन होता है।
- (ख) प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एईआरबी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक रेडियोसक्रियता के रिसाव या डिस्चार्ज की कोई घटना नहीं हुई है।
- (घ) तथा (ङ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

\* \* \* \* \*